अनुभव कुमार चौधरी एवं अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(2016 की दीवानी अपील सं. 2405)

29 फरवरी, 2016

[जे. चेलामेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्तिगण]

प्रक्रिया और व्यवहार: उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की रिट याचिका का निपटारा करते हुए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन साथ ही यह आदेश भी पारित किया कि अपीलकर्ता को उसी वाद हेतु पुनः उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता नहीं होगी - उच्च न्यायालय के आदेश का औचित्य - अभिनिर्धारित: राज्य या/और उसकी एजेंसी के किसी भी निर्णय को चुनौती देने के लिए न्यायालय में कानूनी उपाय का उपयोग करने का अधिकार नागरिक का एक मूल्यवान कानूनी अधिकार है और उच्च न्यायालय बिना कोई कारण बताए अपीलकर्ता से ऐसा अधिकार नहीं छीन सकता - अपीलकर्ता को अपने अभ्यावेदन पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने या एक बार किए गए उसके अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित न होने की स्थिति में कानून में उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का सहारा लेने का पूरा अधिकार है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए एनटीपीसी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की छूट प्रदान करते हुए, अपीलकर्ता को यह भी स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए थी कि यदि अवसर आए तो वह अपने अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी उपायों का सहारा ले सके। [कंडिका 8] [36-डी]

2. राज्य या/और उसकी एजेंसी के किसी भी निर्णय को चुनौती देने के लिए

न्यायालय में कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार नागरिक का एक मूल्यवान कानूनी अधिकार है और उच्च न्यायालय बिना कोई कारण बताए अपीलकर्ता से यह अधिकार नहीं छीन सकता। अपीलकर्ता को उस विवाद से संबंधित न्यायालय में अपनी शिकायत के लिए कानूनी उपाय अपनाने से वंचित करने का कोई उचित कारण नहीं है, जो कि भविष्य में अवसर आने पर अभ्यावेदन का विषय है। आक्षेपित आदेश का वह भाग, जो अपीलकर्ता को एनटीपीसी द्वारा उसके विरुद्ध अभ्यावेदन का निर्णय होने की स्थिति में पुनः न्यायालय में जाने से वंचित करता है, अपास्त किया जाता है। (कंडिका 9, 10] (36-ई-एफ)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील सं. 2405/2016

सीडब्ल्यूजेसी सं. 5402/2015 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2015 के निर्णय एवं आदेश से

अपीलार्थियों के लिए, मनु शंकर मिश्रा, निशांत कुमार, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति 1.विशेष अनुमति याचिका दायर करने में विलंब को क्षमा किया जाता है। अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2015 के सीडब्ल्यूजेसी सं. 5402/2015 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की रिट याचिका का निपटारा करते हुए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, लेकिन साथ ही यह आदेश भी पारित किया था कि अपीलकर्ताओं को उसी वाद हेतु पुनः उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

3. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम इस अपील को प्रवेश स्तर

पर ही अनुमति प्रदान करने के बाद निपटाने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि हमारा विचार है कि इसे दूसरे पक्ष को सूचना दिए बिना निस्तारित किया जा सकता है।

5. हमारे द्वारा पारित आदेश के आलोक में, न तो मामले के तथ्यों को विस्तार से और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बताना आवश्यक है और न ही दूसरे पक्ष को इस अपील का सूचना जारी करना आवश्यक है।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

> **"कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता इस आवेदन को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं ताकि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर कर सकें। यद्यपि यह न्यायालय याचिकाकर्ता को ऐसी अनुमति प्रदान करेगा, परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को अब यहाँ उठाए गए वाद के उसी कारण के लिए पुनः इस न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता नहीं होगी।"**

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को एनटीपीसी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करने हेतु अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करके सही ही गलती की है, लेकिन भविष्य में यदि ऐसा कोई अवसर आए, तो उसके अभ्यावेदन के परिणाम के आधार पर, उसकी शिकायत पर मुकदमा चलाने का उसका अधिकार छीन लिया है। उनका तर्क है कि अपीलकर्ता को अपने अभ्यावेदन पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने या एक बार प्रस्तुत किए गए उसके अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित न होने की स्थिति में, कानून द्वारा उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का सहारा लेने का पूरा अधिकार है। हमें इस तर्क में दम नज़र आता है।

8. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को अपनी शिकायत को व्यक्त करने के लिए एनटीपीसी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की छूट प्रदान की है, तथा अपीलकर्ता को यह भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए थी कि यदि ऐसा अवसर आए तो वह अपने

अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी उपायों का सहारा ले सके।

9. राज्य या/और उसकी एजेंसी के किसी भी निर्णय को चुनौती देने के लिए न्यायालय में कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार नागरिक का एक मूल्यवान कानूनी अधिकार है और उच्च न्यायालय बिना कोई कारण बताए अपीलकर्ता से यह अधिकार नहीं छीन सकता। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, अपीलकर्ता को उस विवाद के संबंध में न्यायालय में अपनी शिकायत के लिए कानूनी उपाय अपनाने से वंचित करने का कोई उचित कारण नहीं है, जो कि अभ्यावेदन का विषय है।

10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं तथा आक्षेपित आदेश के उस भाग को अपास्त करते हैं, जो अपीलकर्ता को एनटीपीसी द्वारा उसके विरुद्ध निर्णय दिए जाने की स्थिति में पुनः न्यायालय में जाने से वंचित करता है।

11. इसलिए, हम अपीलकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यदि अवसर आए तो उस विवाद के संबंध में अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए उपयुक्त न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।

देविका गुजराल अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।